वर्ष 3 अंक 1 जनवरी 1981 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

नये खतरे !

ए. आई. आई. ई. ए. के नेतृत्व में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों ने हाल ही में अधिकारियों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की. सुप्रीम कोर्ट ने पुराने बोनस समझौते में अधिकारियों द्वारा किए जा रहे एक-तरफा परिवर्तनों को नामंजूर कर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया तथा 1978 व 1979 के लिए किए गए बोनस समझौते को सही ठहराया. ऐसा लगता है कि अधिकारीवर्ग कानूनी दांवपेंच को और लंबा खींच कर कर्मचारियों को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं. ऐसी हालत में कर्मचारियों के लिए अपने हितों की रक्षा के लिए खुलकर संघर्ष करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का अपना अनुभव बताता है कि अधिकारी किसी भी समय समझौतों में कोई गैर कानूनी संशोधन कर मजदूरों को लंबी कानूनी लड़ाइयों में फंसा सकते हैं. ऐसा जनता सरकार के दौरान हुआ था. इसका एक दुष्परिणाम यह होता है कि मजदूरों का समझौतों व बातचीत से विश्वास उठ जाता है.

रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आर. बी. आई.) के कर्मचारियों का भी यही अनुभव है. अपने संगठन के नेतृत्व में आर. बी. आई. के मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में लंबी हड़ताल पर गए थे. एक द्विपक्षीय समझौता हुआ तथा आंदोलन वापिस ले लिया गया. किंतु पूरे एक वर्ष इस समझौते पर कोई ध्यान न दिया गया. अन्य उद्योगों में भी ऐसा ही हो रहा है. समस्याएं उत्पन्न होती हैं किंतु उनका समाधान नहीं किया जाता बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है जिसमें महीनों व सालों निरर्थक बीतते रहते हैं. इस लंबे कानूनी दांवपेंच का सहारा लेकर अधिकारीवर्ग मजदूरों से कोई सीधा समझौता करने से बचता रहता है. इस सच्चाई का सबसे प्रमुख उदाहरण पत्रकार व समाचारपत्र कर्मचारी हैं जिनकी मजदूरी-स्तर में पिछले दस वर्ष से कोई संशोधन नहीं हुआ. मजदूर व कर्मचारी इस रूझान के विरुद्ध विरोध प्रकट करते रहते हैं. आगे आने वाले वर्षों में यह समस्या और तीव्र हो जायगी. बीमा व कमचारी इस समय प्रसन्न हैं कि अदालत ने उनके पक्ष में निर्णय दिया है. किंतु अधिनायकवाद का शिकंजा जिस स्तर से बढ़ रहा है उसे देखकर लगता है कि भविष्य में कर्मचारियों को अदालत के दरवाजे खटखटाने का अधिकार भी नहीं रह जाएगा या यदि ऐसा अधिकार बना रहा तो वह केवल नाममात्र का होगा. निरंकुश कार्यपालिका के आगे न्यायपालिका का महत्व केवल रबर स्टैंप जैसा रह जाएगा और वह स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ होगी.

खतरे को समझिए

इस समय बीमा तथा अन्य कर्मचारी इस उभरते हुए खतरे से परिचित नहीं दीखते. वे यह समझते प्रतीत नहीं होते कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वस्तुतः उनकी अपनी शक्ति या उनके

बी. टी. रणदिवे

मुद्दे की न्यायसंगतता के आधार पर ही उनके पक्ष में नहीं गया है. यदि आपात्काल का शासन अब तक बना रहता या जनतांत्रिक ताकतों ने उस अधिनायकवादी शासन को खत्म न कर दिया होता तो यह निर्णय उनके पक्ष में न गया होता. शासन अदालतों में अपने चुने हुए जजों की नियुक्ति कर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देने पर तुला हुआ था.

एमर्जेंसी के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हजारों लोग जेल गए, हजारों ने लाठियां व गोलियां खाई, लाखों को जबरन नसबंदी का शिकार होना पड़ा. हजारों-लाखों लोगों द्वारा सही गई इन

पाठकों को बधाई

इस अंक से सीटू मजदूर के प्रकाशन क दूसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर हम अपने पाठकों को हार्दिक बधाई देते हैं. साथ ही सी. आई. टी. यू. व सीटू मजदूर पाठकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं.

यातनाओं ने ही वह आधार तैयार किया जिसका परिणाम एमर्जेंसी शासन की समाप्ति व संसदीय जनतंत्र की बहाली के रूप में सामने आया. न्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है.

पिट्ठू न्यायपालिका की खोज

बीमा कर्मचारियों को यह कभी नहीं भूलनाचाहिए कि आज जबकि शासक पार्टी द्वारा जनता के अधिकारों व न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, इस पृष्ठभूमि को याद रखना और भी जरूरी हो जाता है. कई महीनों से शासक पार्टी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में जजों के रिक्त स्थानों को नही भर रही है. इसका स्पष्ट कारण यह है कि सरकार इन स्थानों को भरने के लिए ऐसे जजों की तलाश कर रही है जो शासक पार्टी के लिए 'कटिबद्ध' हों. वर्तमान भारतीय स्थिति में ऐसे कई हथकंडे मौजूद हैं, जिनका सहारा लेकर कोई सरकार सामाजिक दायित्व का स्वांग भी रचती रहे तथा अपने चुने हुए 'पिट्ठू' जजों का चुनाव भी कर सकें. अदालतों में रिक्त स्थानों में अपने पालतू जजों को भरने के लिए सरकार इसी प्रकार का आडम्बर कर रही है. हरिजनों, अल्पसंख्यकों पिछड़ी जातियों आदि के लिए घड़ियाली आंसू बहाकर इन संप्रदायों के नाम पर इस प्रकार के जजों की नियुक्ति करने जा रही है.

न्यायपालिका को अपने अधीन बनाए रखने के लिए कार्यपालिका हाई कोर्ट के जजों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांस्फर करने का अधिकार भी मांग रही है.

वर्ष के आंरभ में इंदिरा कांग्रेस की जीत के बाद बनने वाली राजनीतिक परिस्थिति में न्यायपालिका पर होने वाले हमले अपना विशेष स्थान रखते हैं.

गरदन पर तलवार

जनता के बढ़ते हुए गुस्से का सामना करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? एक कदम तो न्यायपालिका पर अपने शिकंजे को मजबूत करना है जिसका जिक्र पहले किए जा चुका हैं. अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ एक और कदम राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का लागू किया जाना जिसमें अफसरशाही को ये अधिकार दे दिए गए हैं, कि वह बिना मुकदमा चलाए, या बिना किसी कानून की परवाह किए लोगों को जेलों में ठूस दे. यह कानून बनाते हुए सरकार ने यह कहकर जनता की आंखों में धूल झोकनी चाही कि इस अध्यादेश का प्रयोग केवल समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ किया जाएगा. किंतु वास्तव में इस अध्यादेश का उद्देश्य जनवादी आंदोलन पर हमला करना है. यह अध्यादेश बदनाम मीसा की याद ताजा कर देता है. इस अध्यादेश की तहत हड़ताली नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है तथा राजनीतिक आंदोलनों के नेताओ को नजरबंद रखा जाता है. यह अध्यादेश असल में तमाम जनता व जनवादी आंदोलन की गरदन पर लटकी हुई तलवार के समान है.

किंतु यह अध्यादेश भी तेजी से बिगड़ती राजनीतिक हालत को संभालने के लिए काफी नहीं है. अधिनायकवादी शासक पार्टी इसमें भी आगे जाना चाहती है. यह अब संविधान को बदलकर अपने लिए तानाशाही अधिकार प्राप्त करना चाहती है. एमर्जेंसी के दौरान चली जा रही एक चाल के अनुसार संविधान को बदलने व वर्तमान संसदीय प्रणाली की जगह राष्ट्रपति शासन को थोपने की व्यवस्था की जा रही थी कुछ कारणों से उस समय यह प्रयत्न असफल रह गया था.

बदनाम प्रस्ताव

अब इस बदनाम प्रस्ताव को एक बार फिर जीवित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं. इस प्रस्ताव के प्रति शासक पार्टी अपना रुख जानबूझकर दोगला रखे हुए है. कभी तो यह बेशर्मी से इसका समर्थन करती है और कभी ऐसा दिखाती है कि मानो इस प्रकार के किसी प्रस्ताव से इसका कोई लेना-देना नहीं है. अभी हाल ही में शासक पार्टी ने संविधान में संशोधन करने के समर्थन में वकीलों का एक सम्मेलन बुलाया. सम्मेलन में हुए भाषणों में राष्ट्रपति शासन प्रणाली का पुरजोर समर्थन किया गया. स्वयं श्रीमती गांधी ने सम्मेलन में भाषण दिया व लोगों से आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर बहस चलाएं. किंतु भाषण के दौरान ही उन्होंने इस विषय पर अपने व्यक्तिगत विचार भी चालाकी से रख दिए. स्पष्ट था कि वे राष्ट्रपति शासन प्रणाली की पक्षधर हैं. किंतु जब सरकार ने इस प्रस्ताव के प्रति जनता की तीखी प्रतिक्रिया देखी तो कानून मंत्री ने संसद में घोषणा कर दी कि सरकार का संविधान या वर्तमान शासन प्रणाली को बदलने का कोई इरादा नहीं है.

ऐसा सोचना आत्मघाती होगा कि अधिनायकवाद के समर्थक ये तत्व संसद में अपने बहुमत का प्रयोग कर देश पर किसी न किसी तरह अधिनायकवाद लादने का प्रयत्न नहीं करेंगे. वे इस ओर कदम बढ़ाने में इस समय असमर्थ हैं क्योंकि वर्तमान राज्य सभा में उनका बहुमत नहीं है. मजदूरों व कर्मचारियों को यह भली प्रकार से समझ लेना चाहिए कि अधिनायकवादी तत्व क्या चाहते हैं. यदि वे समय पर नहीं चेतेंगे तो भविष्य में उन्हें नुक्सान उठाना पड़ेगा.

सबसे पहले तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ब्रिटेन चलने वाला संसदीय प्रजातंत्र व अमेरिका में चल रही राष्ट्रपति शासन प्रणाली दोनों ही एकाधिकारियों, बड़े पूंजीपतियों व अन्य निहित स्वार्थों द्वारा चलाया जा रहा वर्ग शासन है. जहां तक जनता के राजनीतिक शासन या राज्य के ऊपर प्रभुत्व का सवाल है इन दोनों प्रणालियों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है.

पनपती विद्रोह की भावना

भारत में शासक पार्टी इस सवाल को इसलिए उछाल रही है क्योंकि वर्तमान संसदीय लोकतंत्र प्रणाली के तहत इसे खुले रूप में मनमानी चलाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं. शासक पार्टी को खुले रूप में अधिनायकवादी बनने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि यह आम जनता को गरीबी व भुखमरी से छुटकारा नहीं दिला पाई है और इसलिए आम जनता विद्रोह के मूड में है. इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार

निरंकुश अधिकार चाहती है जो राष्ट्रपति शासन पद्धति में मिल सकते हैं.

राष्ट्रपति प्रणाली के लिए चीख-पुकार

इंदिरा गांधी के प्रमुख चापलूस व प्रचारक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले तो यह साफ तौर से बताते हैं कि उनका पहला उद्देश्य न्यायपालिका को अपनी मुट्ठी में करना है जिसके तहत चापलूस जज राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार अपने फैसले दे. वे कहते हैं : "भारत के संविधान के अनुसार संसद द्वारा पारित कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर समाप्त किया जा सकता है, मामूली कानून ही नहीं बल्कि ससद की दो तिहाई बहुमत से पारित संवैधानिक संशोधनों को भी हमारी अदालतें नामंजूर कर सकती हैं. मेरे विचार में गरीब तबकों की दशा को सुधारने के लिए संसद को पूरे अधिकार देने चाहिए. किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्यायित वर्तमान भारतीय संविधान के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता." राष्ट्रपति शासन पद्धति के इस समर्थक को यह नहीं सूझता कि यदि जनता की जिंदगी से संबंधित किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर संसद व न्यायपालिका के बीच मतभेद है तो इसका समाधान करने का जनवादी तरीका है जनता से फिर आदेश प्राप्त करना. किंतु अंतुले महोदय इसका समाधान ढूंढते हैं एक व्यक्ति—राष्ट्रपति—के हाथों में सारी शक्ति को केंद्रित करने में. वे फरमाते हैं : "राष्ट्रपति शासन पद्धति में राष्ट्रपति के हाथों में ऐसे अधिकार होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी दखल नहीं दे सकता. राष्ट्रपति को न तो सीनेट ही हटा सकता है और न ही कांग्रेस. सीनेट व कांग्रेस मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते." राष्ट्रपति पद्धति के समर्थकों द्वारा इस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन करने की मांग के पीछे उद्देश्य है एक ऐसा निरंकुश राष्ट्रपति बनाना जो अदालतों को अपने चुने प्रतिनिधियों से भर दे व जिसे दोनों सदन मिलकर भी न हटा पाएं. अनुमान लगाइये कि यदि इंदिरा गांधी को इस प्रकार का राष्ट्रपति बना दिया जाए जिसे संसद का कोई भय न हो तो देश में उसकी निरंकुशता कहां तक बढ़ जाएगी.

भारत की बात तो जाने दीजिए यहां तक कि अमेरिका की जनता को अपने राष्ट्रपतियों से जूझना पड़ता है. निक्सन, जिसने कि राष्ट्रपति के रूप में अपने पद का खुला दुरुपयोगकिया तथा अन्य पार्टियों के अधिकारों को नकारा, को आसानी से न हटाया जा सकता. इसके अतिरिक्त अमरीकन राष्ट्रपतियों ने अपने देश को कई युद्धों, अंतर्राष्ट्रीय चालों व दुस्साहसी प्रयत्नों में फंसाया तथा ऐसा करते हुए या तो अमरीकन जनता को इससे अनभिज्ञ रखा या उनसे जानबूझकर झूठ बोला. वियतनाम का युद्ध इस बात का उदाहरण है. अंतुले साहब बार-बार न्यायपालिका को नियंत्रित करने की बात कहते हैं. ऊपर हवाला दिए गए साक्षात्कार में वे अमेरिकन राष्ट्रपति के अधिकारों की दुहाई बार-बार देते हैं. वे फरमाते हैं : "अमेरिका में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की भांति सभी राष्ट्रपति यह कह सकते हैं—'यदि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज मेरे न्यू डील लेजिस्लेशन का समर्थन नहीं करते तो मैं उन्हें बदलकर सुप्रीम कोर्ट को अपने चुने हुए जजों से भर दूंगा.' भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा कहने की हालत में नही है." राष्ट्रपति पद्धति का समर्थन करने वाले लोग खुले तौर से राष्ट्रपति प्रणाली व सुप्रीम कोर्ट को चुने हुए जजों द्वारा भरने का एक दूसरे का पर्याय मान रहे हैं.

तानाशाही का खुला आह्वान

यह एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्ति को केंद्रित करने का खुला आह्वान है. यह कहना नासमझी होगी कि वर्तमान संविधान के तहत समुचित शक्ति शासक पार्टी और इसके नेता के हाथों में नहीं है जिसके कारण वे शासन करने में अपने आपको असमर्थ पाते हैं. वे लोग जिन्होंने देश पर एमर्जेंसी थोपी व 60 करोड़ लोगों वाले इस देश को गुलाम बनाया, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. अमरीका या फ्रांस के राष्ट्रपति युद्धकाल के दौरान भी इतने अधिक अधिकार प्राप्त नही कर पाये थे जितने इंदिरा सरकार ने एमर्जेंसी के दौरान प्राप्त कर लिए थे हमारा अनुभव बताता है कि शासक पार्टी के नेताओं की अधिनायकवादी महत्त्वाकांक्षाओं पर अंकुश रखने के लिए संविधान में सुरक्षा के कुछ प्रावधान होने जरूरी हैं.

यह साफ है कि हमला केवल न्यायपालिका के ही खिलाफ नहीं बल्कि तमाम संसदीय पद्धति के खिलाफ है. प्रस्तावित नई पद्धति में जनता के मूलभूत अधिकार भी एक ऐसी सरकार के रहमोकरम पर रहेंगे जिसे संसद के कार्यकाल की समाप्ति तक भी नहीं कहा जा सकता. यह सरकार देश के संविधान को भी पूरी तरह से बदल सकती है तथा पाकिस्तान के ज़िया की भांति खुला अधिनायकवाद ला सकती है.

वास्तविकता में राष्ट्रपति पद्धति के मुद्दे को उछालने के पीछे श्रीमती गांधी की डिक्टेटर बनने की महत्त्वाकांक्षा है. आम जनता के समर्थन को खोने व बिगड़ती आर्थिक स्थिति के भार के कारण शासक पार्टी में आ रही टूटन के कारण श्रीमती गांधी को अधिनायकवाद का रास्ता आकर्षक दीख पड़ रहा है. किंतु अधिनायकवाद का समर्थन करने के पीछे हास्यास्पद कारण ढूंढे जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि आम गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए शासन प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन लाना लाजमी है. आम जनता की समस्याओं को सुलझाने में कांग्रेस सरकार की विफलता के लिए संसदीय पद्धति व न्यायपालिका को दोषी ठहराया जा रहा है. कांग्रेस पार्टी पिछले तीस वर्षों से देश भर पर शासन कर रही है तथा इसने एकाधिकारी घरानों, बड़े पूंजीपतियों व जमींदारों के वर्ग हितों की रक्षा के लिए सदा मजदूरों व किसानों को छला है क्या संसदीय प्रणाली व न्यायपालिका देश के प्रगति में बाधक हैं ? या कांग्रेस सरकार की निहित स्वार्थों की चाटुकारी ? शासन प्रणाली में परिवर्तन के नाम पर एक बार फिर आम आदमी को धोखा दिया जा रहा है.

अंत में, क्या राष्ट्रपति शासन प्रणाली ने आम आदमी को राहत पहुंचाई है और उसकी समस्याओं को सुलझाया है ?

[शेष पृष्ठ सात पर]

सुप्रीम कोर्ट द्वारा मजदूरों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला

गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड बनाम मजदूर सभा के बीच चल रहे मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने औद्योगिक कानून पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है. यह फैसला 1980 लेबर इंडस्ट्रियल केसिज के पृष्ठ 1004 पर दिया गया है.

इस केस के तथ्य यह हैं कि इस कंपनी के मजदूर एक हड़ताल पर गए थे जिसकी प्रेरणा कथित रूप से मजदूर सभा की ओर से आई थी. यह हड़ताल असफल हुई बताई जाती है. इसके बाद प्रबंधकों ने 15 फरवरी 1973 को एक नोटिस जारी करके कंपनी के सभी 853 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया, कंपनी द्वारा लिए गए इस अभूतपूर्ण कदम का कारण यह बताया कि क्योंकि मजदूर 27 जनवरी 1973 से गैरकानूनी व अनुचित हड़ताल पर गए थे इसलिए कंपनी को ऐसा कदम उठाना पड़ा.

नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले नोटिस के साथ-साथ कंपनी ने यह भी लिखा था कि यही कंपनी नए मजदूरों को भर्ती करके पुन: शुरू की जाएगी तथा नई भर्ती क लिए पुराने मजदूर प्रार्थनापत्र दे सकते हैं. यदि पुराने मजदूर योग्यता की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो उन्हें नए सिरे से नौकरी दी जा सकती है. 28 अप्रैल 1973 को यह कंपनी नए मजदूरों को भर्ती कर पुन: काम करने लगी. पुराने मजदूरों में से 419 को फिर नौकरी पर रख लिया गया.

जब मजदूर सभा ने सभी मजदूरों को फिर नौकरी दिए जाने के सवाल पर बातचीत चलाई तो पहले तो कंपनी ने इसे आश्वासन दिया कि उन सभी मजदूरों को काम पर वापिस ले लिया जाएगा जो 4 जून 1973 तक काम पर आ जायेंगे. सभा ने यह शर्त मंजूर कर ली. किंतु बाद में कंपनी अपने ही किए वायदे से मुकर गई तथा अनियमित मजदूरों सहित केवल 250 मजदूरों को ही लेने को राजी हुई. कंपनी के इस रवैये के कारण औद्योगिक विवाद खड़ा हो गया. श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप दोनों पार्टियों ने औद्योगिक विवाद एक्ट के भाग 10 ए के अनुसार इस विवाद को पंचसमझौते को देना स्वीकार कर लिया.

पंचसमझौते का निर्णय मजदूरों के विरुद्ध गया. इसमें कहा गया कि कंपनी द्वारा अपने 400 मजदूरों को बर्खास्त करना इस आधार पर उचित था कि

श्रम कानून

मजदूर सभा ने 27 जनवरी 1973 से गैरकानूनी व अनैतिक हड़ताल की थी.

इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की गई और कोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को गलत करार दिया व मजदूरों की बहाली का आदेश दिया इसने मजदूरों को पिछली बकाया मजदूरी देने को भी कहा.

मजदूरों के पक्ष में जाने वाले इस निर्णय के विरोध में कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई. ऊपर दिए गए तथ्यों की पृष्ठभूमि मे सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से जो निर्णय दिया वह औद्योगिक कानून की दृष्टि से महत्वपूर्ण है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों की बर्खास्तगी का आदेश बदले की भावना से दिया गया था हालांकि बर्खास्तगी के आदेशपत्र में कुछ और ही कारण बताए गए थे. पिछले कई निर्णयों का हवाला देते हुए इस निर्णय में कहा गया कि अदालत को यह पूरा हक है कि वह बर्खास्तगी आदेश से संबंधित अन्य पत्रों की जांच करे व यह जानने का प्रयत्न करे की बर्खास्तगी के पीछे कंपनी का वास्तविक उद्देश्य क्या था. ऐसे सभी पत्रों व तथ्यों की खोजबीन करने के बाद अदालत ने पाया कि मजदूरों की तथाकथित "गैरकानूनी व अनैतिक हड़ताल" तथा बर्खास्तगी आदेश में सीधा संबंध है. अदालत के अनुसार बर्खास्तगी से पहले कंपनी को एक जांच कमेटी बिठानी चाहिए थी जो मजदूरों को हड़ताल व उनके सामान्य व्यवहार की जांच करेगी. यदि जांच कमेटी की रिपोर्ट मजदूरों के खिलाफ जाती तभी उन्हें बर्खास्त किया जा सकता था.

न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए निर्णय ने हाइकोर्ट के निर्णय की न केवल पुष्टि की बल्कि बर्खास्तगी के सही कारणों की जांच करके हाई कोर्ट के निर्णय से एक कदम और आगे बढ़ाया.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह कही कि बर्खास्तगी से पूर्व मजदूर के व्यवहार की जांच व्यक्तिगत आधार पर होनी चाहिए सामूहिक आधार पर नहीं. हमारे देश के कानून के अनुसार सामूहिक अपराध व सामूहिक सजा का सिद्धांत बेमानी है. किसी भी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत अपराध के आधार पर ही सजा दी जा सकती है. इस कंपनी ने मजदूरों को बर्खास्त करने से पहले इस प्रकार की कोई जांच नहीं करवाई.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक अन्य बात यह कही गई है कि पंचफैसला एक प्रकार का ट्रिब्यूनल है. धारा 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह पंचफैसले के निर्णय में हस्तक्षेप करे यदि वह समझती है कि यह निर्णय कानून को बिना समझे दिया जा रहा है, या प्रमाणों पर आधारित नहीं है.

अंत में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने कुछ केसों के आधार पर फैली एक और गलतफहमी को भी दूर किया है. कोर्ट ने कहा कि यदि बर्खास्तगी को गलत करार दिया जाता है तो धारा 43 ए के अंतर्गत मजदूरों की बहाली लाजमी है. इस धारा ने औद्योगिक संबंधों में एक नया मोड़ दिया है. कुछ अपवादों को छोड़ ऐसे केसों में मजदूरों की बहाली व उनको पूरी बकाया मजदूरी दिलवाना लाजमी है. केवल ऐसे मामलों में जहां अदालत यह

[शेष पृष्ठ बारह पर]

बीमा कर्मचारियों की सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक विजय

1974 में आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोशियेशन ने कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक समझौता किया था. तत्कालीन केंद्रीय वित्त व श्रम मंत्रियों ने बातचीत में हिस्सा लिया था और उन्हीं की पहल से समझौता हो पाया था. इस समझौते के अनुसार जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों को 15 प्रतिशत बोनस देना स्वीकार कर लिया था. समझौते का अभिप्राय कर्मचारियों को 15 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देना था हालांकि इसके लिए 'बोनस' शब्द का प्रयोग किया गया था एमर्जेंसी के दौरान इस समझौते को तोड़ने के प्रयत्न किए गए. किंतु कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में इसे कर्मचारियों का अधिकार स्वीकार किया जिसे न बदला जा सकता था. इसके बाद एमर्जेंसी के दौरान ही संसद में एक कानून पास किया गया जिसके द्वारा इस समझौते को एकतरफा रूप से बदल डाला गया. 21 फरवरी 1978 को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा जहां सात जजों की संवैधानिक पीठ ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया. इस ऐतिहासिक फैसले ने संसद के कानून को रद्द कर दिया.

किंतु इस स्पष्ट निर्णय के बावजूद सरकार न मानी. कर्मचारियों को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए उसने एल. आई. सी. कानून की कुछ धाराओं का प्रयोग किया. मामले को कलकत्ता व लखनऊ हाई कोर्टों में उठाया गया. दोनों ही अदालतों ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया. जीवन बीमा निगम यह मामला अब फिर सुप्रीम कोर्ट ले गई. इस मामले पर हुई बहस 1 नवंबर 1979 को समाप्त हो गई किंतु फैसला पूरे एक साल बाद 10 नवंबर 1980 को सुनाया गया.

इस फैसले के अनुसार अदालत ने जीवन बीमा निगम को आदेश दिया कि वह 1974 समझौता तब तक लागू करने को बाध्य है जब तक पिछले समझौते को रद्द करता हुआ कोई नया समझौता, या कानून नहीं बन जाता. इस फैसले के बाद आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसियेशन ने जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखा जिसमें उनसे आग्रह किया गया कि अदालत के निर्देश को मानते हुए निगम अपने ही द्वारा किए गए समझौते का आदर करे व इसके अनुरूप 12 प्रतिशत ब्याज सहित पिछले दो वर्षों के बोनस की तत्काल अदायगी करे. पत्र में यह भी कहा गया कि अगला कोई समझौता होने तक निगम पिछले समझौते के आधार पर बोनस देता रहे.

किंतु अध्यक्ष ने कर्मचारियों के संगठन को जबाब दिया कि उन्हें वित्त मंत्रालय का निर्देश मिला है कि बोनस की अदायगी तब तक न की जाए जब तक सरकार इस बारे में पूरा सोच-विचार नहीं कर लेती. कर्मचारी संगठन ने एक मेमोरेंडम के द्वारा यह मामला वित्त मंत्री आर. वेंकटरमण के पास उठाया. लोक सभा में भी यह मामला उठा. वित्त मंत्री ने लोक सभा में पूछे गए सवालों को यह कह कर टाल दिया कि मामला सरकार के विचाराधीन है. संसद सदस्य सुनील मोइत्रा, जो आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसियेशन के सहसचिव भी हैं, ने लोकसभा में मांग की कि इस मामले पर सरकार वक्तव्य जारी करे. संसद सदस्या प्रमिला दंडवते तथा अन्य सदस्यों ने भी बीमा कर्मचारियों के पक्ष में आवाज उठाई इस बीच जीवन बीमा निगम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल कर दिया. यह पेटिशन भारत सरकार के एटार्नी जनरल की सलाह पर किया गया है. 19 दिसबंर 1980 को संसद में यह मामला मधु दंडवते, सुनील मोइत्रा तथा अन्य संसद सदस्यों ने फिर उठाया तथा शासक पार्टी के सदस्यों ने भी उन्हें समर्थन दिया. संसद सदस्यों की इस बारे में पूरी सहमति थी कि जीवन बीमा निगम को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए.

इस बीच आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसियेशन ने 5 दिसबंर 1980 को दो घंटे के लिए कार्यालयों से 'वाक आउट' का आह्वान किया. उनकी मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल में लाए व 12 प्रतिशत ब्याज के साथ बोनस की अदायगी करे.

मजदूर वर्ग आल इंडिया इंशोरेंस एंप्लाईज एसोसियेशन के नेतृत्व में बीमा कर्मचारियों की जीत पर उन्हें मुबारकबाद देता है. वह सरकार के इशारों पर बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को उनके जायज हकों से वंचित करने के प्रयत्नों की निंदा करता है तथा केंद्रीय सरकार से मांग करता है कि वह गरिमा के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार कर ले तथा मजदूर-विरोधी हरकतों से बाज आए. □

बेरोजगारी के खिलाफ मांग सप्ताह

हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज की जनरल काउंसिल की बैठक मास्को में हुई. इसमें यह फैसला लिया गया था कि 12 से 19 जनवरी तक बेरोजगारी के खिलाफ एक मांग सप्ताह मनाया जाए.

मांगें हैं : सभी मजदूरों को काम का अधिकार कानूनी तौर पर दिया जाए, पूरे रोजगार की गारंटी और इसके लागू करने में ट्रेड यूनियनों की भागीदारी, हथियारों के कारखानों को जरूरियात की चीजों के कारखानों में बदला जाए व नौकरियां बढ़ाई जाएं, क्लोजर व मजदूरों को निकालने पर तुरंत पाबंदी आदि.

सी. आई. टी. यू. ने सभी यूनियनों का आह्वान किया है कि वे इस सप्ताह को रैलियां आदि आयोजित करके लागू करें.

ध्यान रहे कि भारत में अब एक करोड़ 54 लाख बेरोजगार है जिनमें से आधे से ज्यादा मैट्रिक या उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त हैं. □

गोदी व बंदरगाह मजदूरों के साथ विश्वासघात

5 जनवरी से अखिल भारतीय अनिश्चितकालीन हड़ताल

गोदी व बंदरगाह मजदूरों के 28 नवंबर की रात से अनिश्चीत कालीन हड़ताल पर जाने के अटल इरादों को देखकर भारत सरकार ने मजदूरों की समस्याओं को उठानेवाली चार फेडरेशनों के प्रतिनिधियों के साथ एक समझौता किया. इस समझौते के निष्कर्ष इस पत्रिका के पिछले अंक में प्रकाशित किए गए थे. अधिकारियों के साथ समझौते के निष्कर्षों को मध्ये नजर रखते हुए प्रस्तावित हड़ताल वापस ली गई थी.

लेकिन भारत सरकार और परिवहन व जहाजरानी मंत्रालय यह समझे कि अब मजदूर दबाव नहीं डालेंगे और वे इस गलतफहमी में अपने वादे से मुकर गये. भारत सरकार व संबंधित अधिकारियों की जबर्दस्त धोखाधड़ी के कारण, वाटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया (सीटू), आल इंडिया पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल पोर्ट एंड डाक वर्कर्स फेडरेशन और पोर्ट, डाक एंड वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन आफ इंडिया ने 5 जनवरी से अखिल भारतीय अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निश्चय किया है और सरकार द्वारा पहले स्वीकार की गई मांगों को तुरंत लागू कराने और लंबे अर्से से पड़े हुए मसले को हल कराने के लिए, मजदूरों को इस हड़ताल को पूर्ण कामयाब बनाने का आह्वान किया. सारे देश के गोदी व बदरगाह मजदूर सरकार द्वारा, उनके आर्थिक व ट्रेड यूनियन अधिकारों पर कुठाराघात के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हैं.

सीटू द्वारा समर्थन

सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे ने 22 दिसंबर को यह बयान जारी किया :

सीटू, गोदी व बंदरगाह मजदूरों का 28 नवंबर को एक लंबी वार्ता के बाद हुए समझौते को, जहाजरानी व परिवहन मंत्रालय द्वारा लागू करने से मना करने के तरीके पर गहरा खेद प्रकट करता है. समझौते को विस्तृत रूप में तय करते वक्त अधिकारियों ने नये मुद्दे जोड़े जो वस्तुतः समझौते का उल्लंघन करते हैं. यह शर्मनाक बात है कि अधिकारीगण, बढ़ोतरी की दर, वेतनमानों में सुधार के स्तर, फिटमेंट, विशेष वेतन आदि से संबंधित वादों से मुकर गये हैं. उन्होंने मांगपत्र के अन्य मुद्दों पर विचार करने से भी इंकार किया. हालांकि यह समझौते में निर्दिष्ट है. इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सभी फेडरेशनों ने एकमत होकर 5 जनवरी की रात से हड़ताल पर जाने का निश्चय किया है.

सीटू गोदी व बंदरगाह मजदूरों के जायज संघर्ष का पूरा समर्थन करती है और सरकार को चेतावनी देती है कि समझौते को धराशयी करने की हर कोशिशों का मजदूरों द्वारा मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा. सीटू सभी गोदी व बंदरगाह मजदूरों से एकता को मजबूत करने व कायम रखने की और अपनी जायज मांगों को हासिल करने के लिये दृढ़ता से संघर्ष करने की अपील करतीहै. □

सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करने की सीटू द्वारा मांग

सीटू अध्यक्ष बी. टी. रणदिवे ने 29 दिसंबर को यह प्रैस वक्तव्य जारी किया :

सेंटर आफ इंडिया ट्रेड यूनियंस, बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों के देश भर के 70 हजार कर्मचारियों को बधाई देती है जो 26 दिसंबर से दृढ़ता के साथ अपनी इस मांग के समर्थन में हड़ताली संघर्ष पर हैं कि उनका कुल वेतन भारत हेवी इलेस्ट्रीकल्स के समान किया जाए.

1978 के बंगलोर समझौते में यह तय किया गया था कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग के किसी भी इंजीनियरिंग यूनिट में अधिक वेतन दिया जाएगा तो यह अधिक वेतन बंगलोर स्थित यूनिट को भी प्रदान किया जाएगा. 'भेल' में तो समझौता हुए लगभग एक साल बीत गया लेकिन अभी तक केंद्रीय सरकार ने बंगलोर स्थित यूनिटों का कुल वेतन 'भेल' में वेतन के समान नहीं किया है. इसलिए, सीटू, हड़ताल व उत्पादन की हानि की सारी जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की मानती है.

मजदूरों की जायज मांगों को मानने की बजाए सरकार ने हैदराबाद में हड़ताल के पहले ही दिन हड़ताली मजदूरों पर लाठी-चार्ज व आंसू गैस की बरसात की. इस कार्यवाही का कड़ा विरोध करते हुए सीटू चेतावनी देती है कि हड़ताली कर्मचारियों पर जब ऐसे दमनात्मक कदम उठाए जा रहे हों तो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य मजदूर इसे चुपचाप देखते नहीं रहेंगे.

सीटू केंद्रीय सरकार से हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को बिना किसी देरी के स्वीकार करने की मांग करती है जिससे जल्दी से जल्दी हड़ताल समाप्त की जा सके.

सीटू सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों व उनसे संबंधित यूनियनों से बंगलोर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों का साथ देने की अपील करती है ताकि सरकार को मजबूर होकर मजदूरों की जायज मांगों को मानना पड़े. □

संपादक मंडल

बी. टी. रणदिवे (अध्यक्ष)

पी. राममूर्ति — मनोरंजन राय

नीरेन घोष — सुधीन कुमार

एम. के. पंधे (संपादक)

महाराष्ट्र के किसानों के लंबे मार्च द्वारा पुलिस दमन का सामना

नागपुर से हिंदू के संवाददाता 26 दिसंबर को लिखते हैं कि "सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त होने के बावजूद भी वामपंथी और जनवादी ताकतों ने यहां आज एक जबरदस्त प्रदर्शन किया" जिसने "7 दिसंबर से चालू 'लांग मार्च (लंबा कूच) को जिसे महाराष्ट्र के किसानों ने अपने उत्पादन के लाभकारी दामों के लिए चालू किया था एक राष्ट्रीय दिशा प्रदान की है."

अपनी जायज मागों के लिए किसानों के प्रभावशाली आंदोलन से डर कर अंतुले सरकार ने महाराष्ट्र विधान-सभा का अधिवेशन 29 की बजाए 26 दिसंबर को ही समाप्त करने का निश्चय किया, लेकिन आंदोलनकारी विधानसभा के चालू रहते ही नागपुर पहुंच गए.

महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जाने वाले आस-पास के सभी रास्ते इन निर्देशों के साथ बंद कर दिए कि मोर्चे से एक दिन पहले भी किसी को भी शहर में घुसने न दिया जाए. नागपुर में कई नेता बंबई पुलिस नियम के तहत गिरफ्तार किए गए और यहां तक कि सांसदों को भी नही छोड़ा गया. मोर्चे की पूर्व संध्या को 12 सांसदो को गिरफ्तार किया गया.

मोर्चे के दिन नागपुर में लगभग 15 हजार किसान व उनके नेता गिरफ्तार किए गए, इस मोर्चे के संबंध में जो गिरफ्तार किए गए उनमें गोदावरी परुलेकर, पी. के. कुरणे, अहिल्या रांगणेकर और चातुनी मास्टर शामिल हैं.

सांसद मधु दंडवते जिन्हें नागपुर में आंदोलन का नेतृत्व करना था, पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए.

महाराष्ट्र सरकार के किसान-विरोधी रवैये ने ही उनके आंदोलन को मजबूती प्रदान की है. इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार व्यापारियों और मुनाफाखोरों का नेतृत्व करती है जो किसानों को नुकसानदायक दाम दे कर और उपभोक्ताओं से वस्तुओं का अधिक दाम लेकर उनका शोषण करती है.

सीटू किसानों की मांगों का पूरा समर्थन करती है और अंतुले सरकार के दमनात्मक तरीकों का विरोध करती है. □

यूथ कांग्रेस के लोगों द्वारा सीटू कार्यकर्त्ताओं पर कातिलाना हमला

कानपुर, 20 दिसंबर. यहां 19 दिसंबर को शाम साढ़े छः बजे वेलफेयर सेंटर जे.के. कालोनी जाजमऊ के पास यूथ कांग्रेस के लोगों ने जे.के. रेयन वर्कर्स यूनियन के सक्रिय कार्यकर्त्ता दयाशंकर झा पर कातिलाना हमला किया और उनकी साइकिल व छड़ी छीन ली. उनके साथी बंसीधर तिवारी के पैसे भी छीन लिये.

दयाशंकर झा अब अर्सला हस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी. लेकिन उस दिन रात को एस.पी. सिटी कानपुर को तार से सूचना देने के बाद अगले दिन रिपोर्ट दर्ज हुई.

जे.के. रेयान जाजमऊ के गेट पर असामाजिक तत्वों का जमाव बराबर जारी है. वे श्रमिकों के साथ मारपीट व गाली-गलोच करते रहते हैं. ये तत्व खुले आम जानलेवा हथियारों को लेकर गेट पर और बस्ती में घूमते हैं.

समूचे वातावरण पर पुलिस पूरी तरह से मौन है. उत्तर प्रदेश के राज्य श्रम मंत्री और स्थानीय संसद सदस्य पूरी तरह से यूथ कांग्रेस की हमलावर साजिशों में सहयोग कर रहे हैं. □

रानीगंज में अखिल भारतीय कोयला मजदूर सम्मेलन

कोयला यूनियनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति की 8 दिसंबर को असनसोल में हुई बैठक में, अप्रैल के पहले सप्ताह में, रानीगंज में कोयला मजदूरों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित करना तय हुआ. सभी कोयला क्षेत्रों के और दफ्तर कर्मचारियों के लगभग 250 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे. सीटू अध्यक्ष बी.टी. रणदिवे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.

कोयला उद्योगों की यूनियन का यह पहला सम्मेलन है जो सीटू के नेतृत्व में होगा. सीटू से संबंधित यूनियनों के अलावा कई और यूनियनें भी इस सम्मेलन में भाग लेंगी. □

नए खतरे

[पृष्ठ तीन से आगे]

अमेरिका की बात ही लीजिए जहां उद्योगपतियों व जंगबाजों का गठबंधन देश पर शासन कर रहा है. अमेरिका में 70 लाख से अधिक लोग बेरोजगार हैं जबकि बड़े उद्योगपति व बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौज मार रही हैं. अन्य देशों को भयभीत करने के लिए करोड़ों डालर फौजी तैयारियों पर खर्च किए जाते हैं.

षड़यंत्र बेनकाब करो

मजदूर व कर्मचारी वर्ग के लिए व्यक्तिगत अधिनायकवाद के खतरे को भूल जाना भारी भूल होगी. इंदिरा गांधी की शासक पार्टी एक बार फिर देश पर अधिनायकवाद लादने का षड़यंत्र रच रही है. ऐसा न हो कि एमर्जेंसी की भांति इस बार भी हम इस खतरे से अनभिज्ञ रहें. हमें इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इस पर पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए. उभरते हुए अधिनायकवादी खतरे के प्रति सचेत रहने से ही हम इस षड़यंत्र का विरोध करने के लिए आम जनता को तैयार कर पायेंगे. बीमा तथा अन्य कर्मचारियों का यह देश के प्रति कर्त्तव्य है. यदि देश के सजग व सचेत व्यक्ति इस उभरते हुए खतरे को समझने में कोई कोताही बरतेंगे तो यह देश की जनता के साथ धोखा होगा. □

पूंजीवादी संकट और मजदूर वर्ग

आज पूंजीवाद गहरे संकट में है. इस संकट का बोझ अपने कंधों से हटाने के लिए पूंजीपति मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रति आक्रामक रूख अपना रहे हैं.

पूंजीपतियों द्वारा संचालित प्रचार के माध्यम दिन रात अपनी विचार धारा और राजनैतिक तौर तरीकों का ढोल पीटते हैं और यह चाहते हैं कि जनता यह विश्वास करे कि आज का मुनाफा उत्पादन के साधनों में कल लगने वाली पूंजी होगी और परसों इससे रोजगार मिलेगा. वे कहते हैं कि सिर्फ पूंजीपति देशभक्त होते हैं मजदूर नहीं. वे मुद्रा-स्फीति, आर्थिक संकट और विकास में रुकावट के लिए ट्रेड यूनियनों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं क्यों कि ट्रेड यूनियनें अधिक वेतन की मांग करती है. जबकि यह एक सफेद झूठ है !

असलियत यह है कि पूंजीवादी दुनिया में अक्सर मजदूर अपनी नौकरियां गवाकर रोजी कमाने का आसरा भी खो बैठते हैं. और नौकरियां करने वाले मजदूरों को मुद्रास्फीति और जीवन निर्वाह मंहगा हो जाने की वजह से वेतन में कटौती का शिकार बनना पड़ता है.

फैलाव

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद साम्राज्य-वाद ने अपना रास्ता जरूर बदला पर उपनिदेशवादी शोषण को अलग-अलग शक्ल में जारी रखने का काफी प्रयास किया जा रहा है.

इनमें से एक हथियार है बहुराष्ट्रीय कंपनी! ये कंपनियां पूंजीवादी दुनिया की आर्थिक गतिविधियों के लगभग हर क्षेत्र पर हावी होती हैं. हालांकि ये कंपनियां विकासशील देशों में आर्थिक और विकासात्मक समस्याओं को सुलझाने और उनकी मदद करने की दुहाई देती हैं पर वास्तविकता यह है कि ये इन देशों में अधिक से अधिक लूट करके यहां के लोगों का शोषण करती है.

बुनियादी तौर पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां मजदूर विरोधी और यूनियन विरोधी हैं. एक लम्बे संघर्ष के बाद पाए मजदूरों के ट्रेड यूनियन अधिकारों, स्वतंत्रता और जीवन के सही स्तर के प्रति उनका आक्रामक रवैया बहुत फैला हुआ है. रोजगार और श्रम के क्षेत्र में भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड जैसे आई. एल. ओ. द्वारा निर्धारित, को लागू करने से इंकार करते हैं.

अपने इन हमलों में कामयाबी हासिल करने के लिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक से अधिक उन देशों में स्थापित की जाती हैं जो मजदूरों और नागरिकों के प्राथमिक और बुनियादी अधिकारों को पैरों तले रौंदती हैं.

अराजकतावादी तरीके

अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की दौड़ में वे अपनी गतिविधियों को फैलाते हैं. वे उन्हीं उद्योगों को ज्यादा ध्यान देते हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं अन्य को बंद कर देते हैं. साथ ही दूसरे लाभदायक उद्योग खोल लेते हैं.

मजदूरों का ज्यादा शोषण करने के लिए सस्ते श्रम की तलाश और मजदूरों का ज्यादा शोषण करने के लिए वे अपने उद्योग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में और यहां तक कि दूसरे देशों में भी ले जाते हैं. अराजकतावादी तरीके से काम करने के कारण वे विकासशील देशों की समस्याएं सुलझाने की बजाय वे वहां के हजारों-हजार मजदूरों को बेरोजगार कर इस समस्या को और बढ़ा देते हैं.

बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देश को अपने ऊपर स्थायीतौर से आर्थिक, तकनीकी और राजनैतिक रूप से निर्भर बना देती है. वे इन देशों में राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा बटोर ले जाते हैं और बदले में वहां के लोगों के लिए मुसीबतें और देश के विकास में रुकावटें छोड़ जाते हैं. इस सारी प्रक्रिया में वे उस देश की बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी ताकतों पर निर्भर करते हैं या उनसे विभिन्न समझौते करते हैं.

यही नहीं पूंजीवादी दुनिया में अपराध भी फल देता है!

घिनौना अपराध

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सबसे घिनौना अपराध यह है कि ये कंपनियां उन खाद्य पदार्थों, दवाओं और कपड़ों आदि को इन देशों में अधिक से अधिक कीमतों पर बेचते हैं जिनपर उनके अपने देश में नुकसानदायक होने की वजह से रोक लगा दी जाती है. उदाहरण के लिए डी. वी. एस. आर. उन कई सौ कीटनाशकों में से एक है जिनका अमरीका में बेचना मना है पर इसका भारी निर्यात विकासशील देशों में किया जा रहा है जिससे कि यह उद्योग बना रहे और वे लाभ कमाते रहें. ठीक यही हाल एलड्राइन और लेप्टोफास जैसे कीटनाशकों का है. कई साल पहले ईराक में इन्हीं कीटनाशकों के कारण 400 व्यक्तियों की जानें गई थीं और लगभग 5 हजार व्यक्ति अस्पतालों में भर्ती किए गए थे. 1975 में खून में एल-ड्राइन जमा हो जाने की वजह से 15 बच्चे मौत का शिकार हुए. 1974 में काइरो की सरकार ने लेप्टोफोस के शिकार लोगों के आंकड़े गुप्त रखे. उन्होंने सिर्फ यही घोषित किया कि इस उत्पाद से एक हजार भैंसों की मौत हो गयी है.

अमरीका ने अग्निरोधक कपड़े के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी क्योंकि इसके प्रयोग से गुर्दों में कैंसर होने का खतरा था. परन्तु यही कपड़ा बहुत बड़ी मात्रा में लेटिन अमरीका और यूरोप में निर्यात किया गया. बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निम्नस्तरीय और नुकसानदायक खाद्य पदार्थ विकासशील देशों को निर्यात किए. इस संबंध में आंकड़ों सहित अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं.

दोहरी लूट

बहुराष्ट्रीय उद्योगों द्वारा की जा रही यह लूट दोहरी भी है. वे विकास-शील देशों से बहुत कम कीमत में कच्चा माल आयात करते हैं और माल तैयार करने के बाद वे उसे मनमानी कीमतों पर बेचते हैं. इस तरह वे उत्पादकों और खरीदारों दोनों को साथ-साथ लूटते हैं.

1980 के शुरू में दिल्ली में आयोजित यूनिडो (यू. एन. आई. डी. ओ.) सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेजों में कहा गया है कि विकसित देशों में कायम 11,000 कंपनियों की 82,000 विदेशी सहायक कंपनियां हैं जिनमें से 21,000 कंपनियां विकासशील देशों में हैं. इन कंपनियों का एक ही नारा है "अधिक से अधिक लूट मचाओ."

मजदूरों से अधिक से अधिक शोषण के बल पर की जा रही लूट का खुलासा देने के लिए कुछ उदाहरण ही काफी रहेंगे.

विदेशों में स्थापित अमरीकी सहायक कंपनियों ने 1978 में 2,400 करोड़ डालर लाभ कमाया जो 1970 के लाभ से तिगुना था. जहां विकसित पूंजीवादी देशों से 14 प्रतिशत लाभ कमाया जाता है वहां लेटिन अमरीकी, एशियाई और अफ्रीकी विकासशील देशों में लाभ का यह प्रतिशत 65 तक है. यह प्रतिशत लाभ का पांच गुना अधिक है.

संयुक्त राष्ट्र का मई 1979 का दस्तावेज बताता है कि तेल निर्यात करने वाले देशों सहित सभी विकासशील देशों में 1974 से 1978 के बीच व्यापार में 15 प्रतिशत गिरावट आई. विदेशी मुद्रा में 1978 में यह 3,000 करोड़ डालर का नुकसान है.

एक अन्य अध्ययन के अनुसार पूंजीवादी दुनिया के 500 बड़े औद्योगिक संस्थानों का लाभ जिनमें अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियां है 1978 की तुलना में 1979 में 27 प्रतिशत बढ़ा. इसी साल तेल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने लाभ के नए कीर्तिमान स्थापित किए. 1977 से 1978 तक तेल की सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों का व्यापक व्यवसाय 7,000 करोड़ से 31,840 करोड़ डालर हो गया और उनका मुनाफा 462 करोड़ से 2,145 करोड़ डालर हो गया. 1976 में सौ खाद्य एकाधिकार कम्पनियों का पच्चास प्रतिशत खाद्य उत्पादन पर नियंत्रण था जबकि पूंजीवादी देशों में लाखों लोग भूख से पीडित थे.

गैर-ओपेक (ओ. पी. ई. सी.) देशों का कुल कर्जा 1973 में 7,700 करोड़ डालर के मुकाबले 1979 में 25,000 करोड़ डालर हो गया. 1979-80 में भारत का बाह्य-ऋण 9,977 करोड़ 90 लाख रुपये था. बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से चलने वाली 877 कंपनियों से ली गई सूचना के आधार पर 1964-65 से 1969-70 के छः वर्षों मे किया गया रिजर्व बैंक आफ इंडिया का सर्वेक्षण बताता है कि इन वर्षों के दौरान 1,092 करोड़ 90 लाख रुपये देश से बाहर गए हैं.

1978 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रपट यह खुलासा देती है कि विकासशील देशों द्वारा तेल को छोड़कर जिन अन्य प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात किया उससे अंतिम उपभोक्ता को टेक्स के बगैर 20,000 करोड़ डालर से अधिक कीमत देनी पड़ी जबकि इन देशों को सिर्फ 3,000 करोड़ डालर ही मिले.
अब आप लूट की कल्पना कर सकते हैं!

जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का शोषण अपने मातहत देशों में बेरोजगारी और अर्ध-रोजगारी का स्तर बढा देता है जिसका नतीजा गरीबी और असहायता के सिवा और क्या हो सकता है. आई. एल. ओ. के आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल 121 करोड़ 50 लाख लोग ऐसे हैं जो काम करने योग्य हैं. इनका दो-तिहाई हिस्सा विकासशील देशों में रहता है. यहां की लगभग 45 करोड़ 50 लाख लोग बेरोजगार या अर्धरोजगार प्राप्त हैं और इनकी संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है.

मजदूर संघर्ष

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अत्याचारों के खिलाफ मजदूर वर्ग चुप्पी साधे नहीं बैठा है. पूंजीवादी दुनियां में मजदूरों ने बहुत से लम्बे अर्से के जोरदार संघर्ष किए. इन संघर्षों के अनुभव बताते हैं कि हालांकि इन कार्रवाइयों में मजदूरों को पूरा संतोष और लाभ नहीं मिला है फिर भी संघर्षों के कुछ नतीजे रहे हैं जो मजदूरों के पक्ष में हैं. 1980 में हुए कुछ संघर्षों का जिक्र यहां किया जा सकता है.

फिएट (एफ आई ए टी) प्रबंधकों का योजनाबद्ध तरीके से 15 हजार कर्मचारियों को निकालने के खिलाफ इटली के मजदूरों ने अगस्त में हड़ताल की. फ्रांस में बहुराष्ट्रीय कंपनी रोहने पौलैंक के 30 हजार मजदूर जून में कपड़ा क्षेत्र बंद करने और दूसरी जगह ले जाने के खिलाफ हड़ताल पर रहे. 1980 के आरंभ में ग्रेट ब्रिटेन में ब्रिटिश स्टील कार्पोरेशन के 1,20,000 मजदूर वेतन में बढ़ौतरी की मांग को लेकर लगभग 13 सप्ताह तक हड़ताल पर रहे. इस दौरान अमरीका में 11 वर्षों में पहली बार तेल शोधक कारखाने के 60 हजार मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल की.

इस संदर्भ में उत्तरी अमरीका तांबा प्लांट के लगभग 40 हजार मजदूरों, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन में गुडइयर टायर्स के 3,500 मजदूरों में फोर्ड व जनरल मोटर्स आदि के धातु मजदूरों की 41-दिन लम्बी हड़ताल, कोस्टा रीका में स्टेंडर्ड फ्रूट्स के 20,000 मजदूरों तथा अन्य बहुत से स्थानों पर मजदूरों के संघर्ष महत्त्वपूर्ण हैं.

भारत में भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरोध में समय-समय पर बहुत से आंदोलन छेड़े गए. इनमें से फाइजर और ग्लैक्सो जैसे दवा उद्योगों, हारलिक्स और लिप्टन जैसे खाद्य उद्योगों, माइको (एम. आई. सी. ओ.) जसे धातु उद्योगों के मजदूरों के आंदोलन मुख्य हैं. इन आंदोलनों से संबंधित बहुत से कामरेडों को तरह-तरह से तंग किया गया. इन संघर्षों में मजदूरों ने अपनी बहुत सी मांगें मनवा लीं. हारलिक्स, फाइजर इंडिया डुलिकेटर्स में अब तक संघर्ष जारी है.

संघर्ष जारी रहना चाहिए

मजदूर वर्ग को यह जान लेना चाहिए कि लगातार फैल रही इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संकट भी गहराता जा रहा है. उन्हें इस तथ्य को जान लेना चाहिए कि इन्ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहयोग से चिली में अलंदे की सरकार गिरा दी गई थी. और इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखना जरूरी है क्योंकि तभी हम आर्थिक शोषण से मुक्त हो सकते है और अपनी स्वतंत्रता को बचा सकते हैं. □

अंडेमान और निकोबार के मजदूरों की संघर्ष की तैयारी

अंडेमान एंड निकोबार गवर्नमेंट एंप्लाईज एंड वर्कर्स फेडरेशन द्वारा तमिआर संगम हाल, पोर्ट ब्लेयर, में 19-21 दिसंबर 1980 को आयोजित की गई कनवेंशन में 200 से भी अधिक डेलिगेटों ने भाग लिया. मुख्यभूमि से दूर इन द्वीपों में इस प्रकार की यह पहली कनवेंशन थी. कुछ डेलिगेटों को केवल 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लिए तीन दिन यात्रा करनी पड़ी जबकि इन द्वीपों में परिवहन की जबरदस्त दिक्कतों के कारण कई डेलिगेट समय पर पहुंच भी न सके.

कनवेंशन की कार्यवाही चलाने के लिए पी. के. एस. प्रसाद, एच. एन. परियाल और एस. अब्दुल सफर सहित एक अध्यक्षमंडल चुना गया.

सिविल एविएशन कर्मचारियों के नेता सी. एस. राय ने कनवेंशन का उद्घाटन किया.

मुख्य अतिथि, एम. के. पंधे, सचिव सीटू, ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की दिक्कतों का विस्तार से उल्लेख किया और मजदूरों के हाल ही के संघर्षों की समीक्षा की.

कनवेंशन में विभिन्न प्रस्तावों पर बोलने वाले कई डेलिगेटों ने मजदूरों के बदतर हालात और द्वीपों पर सुविधाओं के न होने का उल्लेख किया. उन्होंने उन अधिकारियों की भूमिका की भी भर्त्सना की जो मजदूरों की शिकायतों पर ध्यान नहीं देते. विमको फैक्ट्री, गोदी व बंदरगाह, रबड़ बागान, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट, वन विभाग, विद्युत विभाग और परिवहन निगम में चलाए गए संघर्षों के अनुभवों पर भी डेलिगेटों ने प्रकाश डाला. सरकारी कर्मचारियों ने इन संघर्षों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. सभी वक्ताओं ने आम मांगों पर एकजुट आंदोलन की जरूरत पर जोर दिया.

डेलीगेटों ने बताया कि आवश्यकता की चीजों के दाम बहुत ही ज्यादा हैं और आम आदमी का जीवन असहनीय होता जा रहा है.

स्वतंत्रता सेनानी सरदार पृथ्वीसिंह आजाद जो 1930 की चिटगांव अरमरी रेड की 50 वीं बर्षगांठ के उत्सव पर अंडेमान आए थे, ने कनवेंशन को संबोधित किया और मजदूरों की मांगों का समर्थन किया.

शहर के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला. जुलूस उस पंडाल के पास होकर गुजरा जहां एम. ई. एस. के दो मजदूर एस. के. चित्रकार और आर. चक्रवर्ती 12 दिसंबर से यूनियन को मान्यता व अन्य फौरी मुद्दों से संबंधित मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. अपनी मांगों पर दबाव देने के लिए सभी 1200 मजदूरों ने 22 दिसंबर को टूल डाउन हड़ताल की.

कनवेंशन के दौरान सीटू यूनियनों की एक बैठक हुई और अंडेमान निकोबार द्वीपसमूह में सीटू यूनियनों की एक कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला किया गया जिसके संयुक्त संयोजक पी. के. एस. प्रसाद और चंद्रचुदन होंगे.

22 दिसंबर को एक सार्वजनिक सभा हुई जिसे अन्यों सहित एम. के. पंधे, पी. के. एस. प्रसाद व सी. एस. राय ने संबोधित किया. □

पंजाब सीटू की पांचवी कानफ्रेंस

सीटू की पंजाब राज्य कमेटी की पांचवी कानफ्रेंस 8 से 10 नवंबर को अमृतसर में हुई. सीटू के महासचिव पी. राममूर्ति ने कानफ्रेंस का उद्घाटन किया. 57 यूनियनों से जिसकी सदस्य संख्या 24,121 है, 165 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. किशोरी लाल ने इसकी अध्यक्षता की.

जगजीत सिंह लायलपुरी न कार्य रिपोर्ट पेश की जिसे सुधारों के बाद स्वीकार किया गया. 30 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने इस रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया.

पी. राममूर्ति ने देश और विदेश में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की. उन्होंने, शासक दल की तानाशाही नीतियों के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने एकजुट संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया और सीटू को मजबूत करने और मजदूरों में राजनीतिक जागृति बढ़ाने पर दबाव डाला.

कानफ्रेंस में मजदूरों और जनता के फौरी मसलों पर 20 प्रस्ताव अपनाए गए जिनमें पुलिस दमन व कीमत-वृद्धि के खिलाफ, न्यूनतम वेतन पर, राजनीतिक व आर्थिक हालात पर, किसानों को कृषि उत्पादन का उचित मूल्य आदि पर प्रस्ताव शामिल हैं.

कानफ्रेंस में, 30 सदस्यों की एक वर्किंग कमेटी चुनी गई जिसमें जगजीत सिंह लायलपुरी अध्यक्ष और मंगत राम पासला महासचिव चुने गये.

10 दिसंबर को एक जुलूस निकाला गया जिसने बाद में एक रैली का रूप धारण किया जिसे सांसद पी. राममूर्ति, सांसद एच. एस. सुरजीत, जे. एस. लायलपुरी, मंगत राम पासला व अन्यों ने संबोधित किया. □

कामरेड अलेक्सी कोसिगिन

सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज, कामरेड अलेक्सी कोसिगिन की 76 वर्ष की उम्र में लंबे समय तक बीमार रहने के बाद 18-19 दिसंबर की रात को हुई मृत्यु पर संवेदना प्रकट करती है.

सी पी एस यू के नेता और सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री के रुप में कामरेड कोसिगिन ने फासीवाद विरोधी युद्ध और युद्धोपरांत पुनर्निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. भारत रुस मैत्री को मजबूत करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

सीटू, रुस की आल यूनियन काउंसिल आफ ट्रेड यूनियंज, मजदूर वर्ग, जनता और उनके शोकग्रस्त परिवार से अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है. □

खदानों में सुरक्षा पर पांचवी कानफ्रेंस

खदानों में सुरक्षा पर पांचवीं कानफ्रेंस नई दिल्ली में 26 से 27 दिसंबर को हुई जिसमें खदानों में सुरक्षात्मक कार्य-प्रणाली की और प्रशासन व प्रबंधकों की लापरवाह नीति की ओर प्रकाश डाला गया.

श्रममंत्री एन. डी. तिवारी ने कानफ्रेंस की अध्यक्षता की.

ऊर्जा मंत्री गनी खान चौधरी, पहले से तय की गई इस कानफ्रेंस में अनुपस्थित रहने का कारण केवल स्वयं ही जानते होंगे. ऊर्जा राज्य मंत्री विक्रम महाजन ने केवल कानफ्रेंस के उद्घाटन में भाग लिया और वे अपना भाषण समाप्त करते ही चले गए. यहां तक कि इस्पात और खदान मंत्री ने भी कानफ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, मंत्रियों द्वारा इस लापरवाही की ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने कड़ी आलोचना की.

संसद के दोनों सदनों की खदान (संशोधन) बिल पर सलेक्ट कमेटी ने 1974 में ही अपनी रिपोर्ट पेश की थी लेकिन अभी तक संसद के सामने कोई भी बिल पेश नहीं किया है. ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने संशोधित बिल को संसद के अगले अधिवेशन में ट्रेड यूनियनों से विचार-विमर्श करने के बाद जल्द ही पेश करने की मांग की है.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने पहले हुई खदानों में सुरक्षा की कानफ्रेंसों के निर्णयों को न लागू करने की आलोचना की. इसी प्रकार खदानों में दुर्घटनाओं पर जांच-पड़ताल कोर्टों के विभिन्न सुझावों को भी लागू नहीं किया गया जिसका नतीजा समय-समय पर लगातार दुर्घटनाएं था.

प्रतिनिधियों ने खदानों में, बिजली और रोशनदान, गैस को ढूढ़ने के साधन, पानी के प्रभाव को रोकने के लिए सुरक्षा साधन, कोयले की राख को साफ करना, पत्थर और चूने की मिट्टी, छत की व्यवस्था और लकड़ी, पानी को छिड़कना, स्टोइंग, स्वच्छता आदि की न्यूनतम जरूरतें उचित मात्रा में प्रदान न करने की ओर भी ध्यान दिलाया.

पिट सेफ्टी कमेटी विस्तृत प्रचार के बावजूद भी नाममात्र को ही रही. वर्कर इंस्पेक्टर की प्रथा सही ढंग से सामने नहीं लाई गई. सुरक्षा के बारे में मजदूरों के साथ विचार-विमर्श करना एक धोखा मात्र है.

ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने, राष्ट्रीयकरण के बावजूद भी मजदूरों को सुरक्षा हेलमेट, बेल्ट, गैस सिलेंडर, गैस मास्क आदि के लिए भी संघर्ष करने की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया.

खदान सुरक्षा के डायरेक्टर जनरल के कार्यालय की कमियों पर भी अनेक प्रतिनिधियों ने प्रकाश डाला. अफसरों की कमी, पर्याप्त सुविधाएं और कार्यदशा की अनुपस्थिती से अनेक खदानें कई सालों तक बिना सही जांच पड़ताल के इस्तेमाल की गई.

खदान बचाव केंद्र में सहायकों का अभाव है. कर्मचारियों के वेतन और कार्यदशा की हालत बदतर है. ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने इन कर्मचारियों के वेतन को सीआईएल कर्मचारियों के वेतन के बराबर करने की मांग की है.

मालिकान द्वारा तय किए गये कल्याणकारी साधन अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं किये गये हैं. कोल माईन वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन के काम की श्रम मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट अघातपूर्ण है लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं लिए गए हैं. चिकित्सा सुविधाओं की दशा तो देखने लायक ही हैं. मकान-सुविधाएं तो पूरी तरह से अपर्याप्त हैं.

कानफ्रेंस में, खदान में दूरी से मजदूरों को होनेवाली थकावट की ओर भी प्रकाश डाला गया.

मशीनीकरण करने के लिए सहमति लेने के मालिकान के प्रयत्न ट्रेड यूनियनों के संयुक्त विरोध से नाकामयाब रहे.

कानफ्रेंस में तय किया गया कि प्रत्येक खदान को एक सुरक्षा नीति और पर्याप्त मशीनें द्विपक्षीय स्तर पर तैयार करनी चाहिएं और इसको उचित ढंग से कार्यान्वित करने के लिए निरीक्षण करना चाहिए.

कानफ्रेंस में, सरकार द्वारा पहले गठित एक कमेटी, पिट-सेफ्टी कमेटी और वर्कर्स सेफ्टी इन्स्पैक्टर के सुझाव को कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया गया.

कानफ्रेंस के आंतरिक सुरक्षा संगठन जो सभी स्तरों पर उत्पादन यूनिट से अलग हों, की आवश्यकता पर जोर दिया.

कानफ्रेंस में, खदान योजनाओं के सहीपन पर बल दिया गया और इस कार्य के लिये प्रशिक्षित अफसरों को तैयार करने का निर्णय लिया गया.

कानफ्रेंस ने दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल की जरूरत पर और प्रत्येक खदानों में हर साल दो निरीक्षण कराने के लिए डी जी एम एस संगठनों को मजबूत बनाने के सुझावों पर जोर दिया.

कानफ्रेंस के निर्णय, भविष्य में किस हद तक लागू किये जाते हैं, यह ट्रेड यूनियनों के इनको लागू कराने के लिए किए गये संयुक्त प्रयत्नों पर ही निर्भर करता है.

एम. के पंधे ने कानफ्रेंस में सीटू का प्रतिनिधित्व किया. मुहम्मद इस्माइल ने संसद की श्रम परामर्श समिति के सदस्य होने के नाते से कानफ्रेंस में भाग लिया. □

कोयला खदानों में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का

चेहरा बेनकाब

कीमत : 40 पैसे

लिखें :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

रेल कर्मचारियों का बढ़ता संघर्ष

साउथ सेंट्रल रेलवे एंप्लाईज यूनियन के नेतृत्व में 150 से ज्यादा रेल मजदूरों ने विजयवाड़ा में डिविजनल रेलवे मैनेजर के कार्यालय के सामने 26 नवंबर को केजुअल मजदूरों को, जिन्हे अस्थाई दर्जा दिया गया है, को नियमित करने की मांग के लिए एक धरना आयोजित किया. ऐसे 1298 मजदूरों में से 573 मजदूरों ने पांच साल नौकरी की है. डिविजनल रेलवे मैनेजर के द्वारा रेलवे बोर्ड के चेयरमेन को एक मांगपत्र दिया गया. बाद में शाम को एक आम रैली आयोजित की गई जिसे अन्यों सहित एम. वी. सुब्बैयाह ने संबोधित किया

ए आई आर एफ के आह्वान पर रेलवे मजदूरों ने बीकानेर में हुए कनवेंशन में स्वीकृत अपने 10 सूत्री मांगपत्र के लिए 28 नवंबर को 'मांग दिवस' मनाया. कलकत्ता में पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और एम. टी. पी. रेलवे के मुख्य कार्यालयों के बाहर जबरदस्त रैलियां आयोजित की गईं जिन्हें एफ आई आर एफ के अनेक नेताओं ने संबोधित किया.

बारह श्रेणी-अनुसार एसोसिएशनों के आह्वान पर 8 दिसंबर को, दक्षिणी रेलवे को छोड़कर, जिसमें 18 दिसंबर को प्रदर्शन किए गए, सभी रेलवे के डिविजनल मैनेजरों के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करके 'मांग दिवस' मनाया गया. कई स्थानों पर, सितंबर में, नई दिल्ली में हुई बैठक में तैयार किए गए 16-सूत्री मांगपत्र को, 16 से 18 संगठनों ने संयुक्य रूप से पेश किया.

ठेका मजदूरों का संघर्ष

इंडियन रेलवे कोल एंड ऐश ट्रांशिपमैंट हैंडलिंग मजदूर यूनियन (सीटू) के आठ सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल सांसद समर मुखर्जी के नेतृत्व में 9 दिसंबर को रेलमंत्री से मिला और एक मांगपत्र पेश किया. मांगपत्र में, सेंट्रल एड्वाइजरी कानट्रेक्ट लेबर बोर्ड का निर्णय जिसमें लोकोशेड और यार्ड में ठेका मजदूरों द्वारा कोयला लादने व ढ़ोने के काम पर पाबंदी लगाई गई थी, को लागू करने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि निर्णय को लिए गए तीन साल बीत गए और अब मजदूर इसके प्रति असहनीय हो गया है. ट्रांशिपमेंट का काम क्योंकि लगातार होता है इसलिए उन्होंने ठेका मजदूर प्रणाली के खात्मे की भी मांग की है.

इसके तुरन्त बाद, एन एफ रेलवे में अलीपुरद्नार जंक्शन में 16 दिसंबर को नये ठेकेदार के आते ही एक विवाद उठ खड़ा हुआ. इस ठेकेदार ने 10 से 15 साल तक काम करने वाले मजदूरों को रोजगार देने से और उनके वेतन में कोई वृद्धि करने से इंकार कर दिया हालांकि इस साल के दौरान 20 प्रतिशत कीमत वृद्धि हुई थी. इसके परिणाम-स्वरूप एन एफ रेलवे में गाडी के सुचारू रूप से चलने पर गहरा प्रभाव पड़ा.

लोक सभा अध्यक्ष को टिकट चेकिंग स्टाफ की याचिका

तीन हजार से भी ज्यादा टिकट चेकिंग स्टाफ ने बोट क्लब पर 3 दिसंबर को एक रैली आयोजित की और लोक सभा अध्यक्ष को एक जन-याचिका पेश की जिसमें रनिंग अलाउंस सहित अन्य मांगे शामिल हैं. रेलमंत्री ने बोट क्लब पर कर्मचारियों को संबोधित किया. अन्य नेताओं सहित सीटू सचिव नृसिंह चक्रवर्ती ने भी रैली को संबोधित किया.

समर मुखर्जी ने गोल्डन राक वर्कशाप का दौरा किया

दक्षिण रेलवे एंप्लाईज यूनियन की 30 नवंबर और 1 दिसबंर को सी ई सी की हुई बैठक के अवसर पर सांसद समर मुखर्जी 1 दिसबंर को गोल्डन राक वर्कशाप देखने गए. उनका प्रत्येक दुकान पर भव्य स्वागत किया गया और कर्मचारियों की शिकायतों का एक मांगपत्र पेश किया गया. अपनी वापसी पर उन्होंने मांगपत्र रेल मंत्री को दिया जिसमें शिकायतों को देखने से पता चलता है कि दक्षिणी रेलवे की पर्सनल ब्रांच सुचारु रूप से काम नहीं करती और तथाकथित गैर मान्यताप्राप्त यूनियनों जिनमें डी आर ई यू भी शामिल है द्वारा पेश की गई शिकायतों पर ध्यान न देने की नीति के कारण यह दशा हुई है. डी आर ई यू की सी ई सी की बैठक में अभियान व आंदोलन करना तय किया गया है. □

श्रम कानून...

[पेज चार से आगे]

समझती है कि विवाद के लिए आंशिक रूप में मजदूर भी दोषी थे या उनकी हड़ताल वास्तव में गैरकानूनी व अनुचित थी तो बकाया मजदूरी के कुछ भाग को समाप्त किया जा सकता है.

अपने ऐतिहासिक निर्णय में न्याय-मूर्ति कृष्ण अय्यर ने हिंदुस्तान टिन वर्क्स बनाम इसके मजदूरों के मामले में दिए गए निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण अंश उद्धत किए. ये हैं :

"यदि बर्खास्तगी का आदेश गैर-कानूनी करार दिया जाता है तो मजदूरों को बहाली के साथ-साथ नौकरी में निरंतरता के फायदे भी मिलने चाहिए. मालिक के खिलाफ निर्णय दिए जाने का अर्थ है कि उसने गैर कानूनी तरीकों से मजदूरों को नौकरी से निकाला व इस दौरान उनको उनकी जायज मजदूरी से वंचित किया. ऐसी हालत में मजदूरों को उनकी पूरी बकाया राशि मिलने का पूरा अधिकार है. यदि ऐसा नहीं होता तो यह मालिकों के गैरकानूनी कदम को प्रोत्साहित करना होगा. ऐसी हालत में बहाली के साथ-साथ मजदूरों को उनकी पूरी बकाया मजदूरी मिलनी चाहिए. धारा 41 व 43 हमें इन मामलों पर सही निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होगी." □

— अरुण प्रकाश चटर्जी

एशिया की कामगार महिलाओं को लंबा संघर्ष करना है

दुनिया की कामगार महिलाओं में आधे से अधिक 32 करोड़ 20 लाख अथवा 56 प्रतिशत एशिया की महिलाएं हैं.

सभी विकासमान देशों की कामगार महिलाओं की संख्या प्रतिशत के तौर पर और भी चौंका देने वाली है : और इस श्रेणी में एशिया में महिला श्रम शक्ति 87 प्रतिशत से कम नहीं है.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी यदि घर में किए गए काम या परोक्ष रूप की आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने वाली महिलाओं की गिनती भी कामगारी महिलाओं में की जाए. संगठन द्वारा किया गया अध्ययन यूनाइटेड नेशंज डिकेड फार वूमेन का एक अंग है जिसका उद्देश्य दुनिया की तमाम महिलाओं को बराबरी के अवसर प्रदान करवाना है.

अध्ययन में पाया गया कि एशिया के विभिन्न देशों में भी आर्थिक गतिविधियों में भाग लेनेवाली महिलाओं के अनुपात में विभिन्नता पाई जाती है. जहां एक ओर इराक, जोर्डन व सउदी अरब में केवल 2 से 3 प्रतिशत तक महिलाएं आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेती हैं वहां जापान व थाइलैंड में इनकी संख्या 40 प्रतिशत तक है. भारी जनसंख्या वाले देशों, चीन व भारत, में कामगारी महिलाओं की संख्या क्रमशः 36 व 26 प्रतिशत है.

विभिन्न देशों में कामगार महिलाओं की संख्या में यह विभिन्नता इन देशों में सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तरों तथा आर्थिक विकास की दशाओं में विभिन्नता को दर्शाती है. एक अन्य कारण जिससे कामगार महिलाओं की सही गणना करने में दिक्कत पेश आती है आर्थिक व गैर-आर्थिक क्रियाओं में बहुत कम अंतर होना है. उदाहरण के लिए भारत में ही कम से कम दो करोड़ पांच लाख महिला खेत मजदूरों, घरेलू नौकरों तथा अन्य कामगार महिलाओं को कामगार महिलाओं की गणना में शामिल नहीं किया गया है. इसका कारण यह है कि 'कामगार महिला' की परिभाषा इतनी संकुचित है कि उपर्युक्त श्रेणियां इसके दायरे में नहीं आतीं. इस कारण भारत में कामगार महिलाओं की संख्या बहुत कम बताई जाती है क्योंकि एशिया के अन्य देशों की भांति भारत की अधिकतर कामगार महिलाएं खेतों व घरों पर ही काम करती हैं.

1950-70 दौर के बीच एशिया में कामगार महिलाओं की संख्या 12 करोड़ 30 लाख बढ़ गई. अगले पांच वर्षों में इसमें दो करोड़ साठ लाख और वृद्धि हो गई. किंतु इससे यह भी जाहिर होता है कि 1971-80 दशाब्दी में महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाओं में भाग लेने की दर में कमी हुई है. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययन के अनुसार कुल तथा सापेक्ष दोनों रूपों में विश्व में किसी अन्य क्षेत्र की अपेक्षा एशिया में कामगार महिलाओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई, हालांकि यह वृद्धि कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक थी.

1970 में कृषि में 73 प्रतिशत महिलाएं काम करती थीं जबकि उद्योग में 14 प्रतिशत व नौकरियों में 13 प्रतिशत. किंतु अब एशिया में पुरुष व महिला दोनों कामगारों द्वारा उद्योगों व नौकरियों में आने का रुझान देखा जा रहा है. 1950-70 वर्षों के दौरान कृषि से जुड़ी कामगार महिलाओं की संख्या में 13 प्रतिशत की कमी हुई जबकि उद्योग में 8 प्रतिशत व अन्य नौकरियों में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई. कामगार महिलाओं की कुल संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ इस रुझान के भी आगे बढ़ने की संभावना है.

कामगार महिलाओं के लिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी आनुपातिक संख्या कितनी है. उनके लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने पदों व व्यवसायों में बराबरी के मौके व अच्छा व्यवहार मिले.

एशिया की कामगार महिलाओं में 60 प्रतिशत से अधिक महिलाएं या तो केवल गृहिणी के रूप में काम करती हैं अथवा कृषि, व्यापार या मामूली उद्योग धंधों में कम मजदूरी या बिना किसी मजदूरी लिए काम करती हैं. इनमें बहुत बड़ी संख्या 10 से 14 वर्ष की लड़कियों की है. संगठन के एक अध्ययन के अनुसार 1975 में विश्व में इस छोटी उम्र की दो करोड़ 22 लाख महिलाएं काम करती थीं जिनमें से 80 प्रतिशत तो एशिया में ही थीं. इनमें से अधिकतर महिलाएं अपने ही घरों व खेतों में काम करती थीं जिनको उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती . औद्योगिक देशों की तुलना में एशिया में बिना मजदूरी के काम करने वाली महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है.

एशिया के ये हालात वहां की कामगार महिलाओं के बराबरी व सही मजदूरी के लिए किए जा रहे संघर्षों में आड़े आते हैं. खेतों व कारखानों दोनों जगह काम करते हुए महिलाओं को सस्ता मजदूर समझा जाता है तथा उन्हें उनकी सही मजदूरी से वंचित किया जाता है. आई. एल. ओ. अध्ययन यह भी बताता है कि प्रशासक तथा प्रबंधकीय स्तरों पर छोटे पद महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं जबकि बड़े पदों से उन्हें दूर रखा जाता है.

इस प्रकार एशिया की कामगार महिलाओं को लंबा संघर्ष करना है. जीवन के हर स्तर पर बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए उन्हें विशेष व ठोस कदम उठाने हैं. □

बिरादराना ट्रेड यूनियन नेताओं का सीटू कार्यालय में आगमन

यूगोस्लाविया की कनफेडरेशन आफ यूनियंज आफ यूगोस्लानिया की प्रेसिडेंसी के सदस्य टोंकी लिगाज 3 दिसंबर 1980 को सीटू के केंद्रीय कार्यालय पधारे. कार्यालय में पी. राममूर्ति, नीरेन घोष, नृसिंह चक्रवर्ती, एन. प्रसाद राव तथा विमल रणदिवे ने उनका स्वागत किया. टोंकी लिगाज ने अप्रैल 1980 में बेलग्रेड में विकास के मुद्दे पर विश्व सम्मेलन में हुई बहस व घोषणा-पत्र पर सी. टी. यू. वाई. द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक सीटू कार्यालय को भेंट की.

विकास के भावी कार्यक्रम के बारे में पूछे जा रहे सवालों का जवाब देते हुए पी. राममूर्ति ने अतिथि को विश्वास दिलाया कि इस बारे में सीटू के विचार शीघ्र ही उन्हें भेज दिए जाएंगे. टोंकी लिगाज ने बताया कि सी. टी. यू. वाई. अगले पंचवर्षीय कार्यक्रम व मजदूरों द्वारा स्वनियोजन के सवाल पर अगली कांग्रेस करने की तैयारियों में व्यस्त हैं. सीटू प्रतिनिधियों ने अतिथि को बताया कि भारत में मूल्यवृद्धि व साम्प्रदायिकता के खिलाफ व जनवाद के समर्थन में मजदूर वर्ग को एकजुट करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं.

इसी प्रकार जर्मन जनवादी गणतंत्र की कनफेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियंज (एफ. डी. जी. बी.) के एक प्रतिनिधि हैंस लौरेंज 4 दिसंबर को सीटू कार्यालय आए. नृसिंह चक्रवर्ती तथा अन्य व्यक्तियों ने उनका स्वागत किया. बिरादराना शुभकामनाओं का जवाब देते हुए लोरेंज ने कहा कि एफ. डी. जी बी. ट्रेड यूनियन चुनाव करवाने तथा अगली पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने में व्यस्त है जिससे कि देश में कोई बेरोजगारी या मुद्रास्फीति न रहे.

दोनों पक्षों ने आशा व्यक्त की कि भविष्य में सीटू व एफ. डी. जी. बी. के बिरादराना संबंध और अधिक मजबूत होंगे. अंतर्राष्ट्रीय स्थिति व युद्ध के बढ़ते खतरे पर भी विचार-विमर्श किया गया.

नृसिंह चक्रवर्ती ने अतिथि को बताया कि मुद्रास्फीति, मूल्य-वृद्धि तथा बेरोजगारी के खिलाफ सीटू मजदूर वर्ग के संघर्षों में एकता लाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रही है.

किसान सभा में खेतिहर मजदूरों की संख्या में वृद्धि

1979 में अखिल भारतीय किसान सभा में खेतिहर मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है.

पश्चिम बंगाल में किसान सभा में 15 लाख खेतिहर मजदूरों ने अपना नाम दर्ज करवाया है जबकि केरल में थेजिलई यूनियन की सदस्य संख्या 2.70 लाख हो गई.

अन्य राज्यों में विभिन्न खेतिहर मजदूर संगठनों की सदस्य संख्या इस प्रकार है—आंध्र प्रदेश एग्रिकल्चरल लेबर यूनियन 1.35 लाख, त्रिपुरा एग्रिकल्चरल लेबर यूनियन 10 हजार, तंजावुर एग्रिकल्चरल लेबर यूनियन, तमिलनाडु 60 हजार, यू. पी. खेत मजदूर सभा 5,500, पंजाब देहाती मजदूर सभा 29,702.

अन्य राज्यों में भी खेतिहर मजदूर संगठन बनाए जा रहे हैं.

अब जिल्द में उपलब्ध हैं

सीटू मजदूर 1979

के सभी अंक

कीमत : दस रुपये

और

सीटू के सभी हिंदी प्रकाशन

कीमत : पांच रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय :

6, तालकटोरा रोड,

नई दिल्ली-110001

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1980		
	अगस्त,	सितं,	अक्टू.
बिहार			
जमशेदपुर	388	394	397
झारिया	374	382	386
कोडर्मा	421	422	427
मोंघाइर	440	443	448
नोआमुंडी	379	385	389
गुजरात			
अहमदाबाद	372	374	379
भाव नगर	409	410	418
हरियाणा			
यमुना नगर	430	429	436
जम्मू व काश्मीर			
श्रीनगर	405	410	415
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	429	417	414
भोपाल	396	406	410
ग्वालियर	425	427	432
इंदौर	416	428	422
महाराष्ट्र			
बंबई	396	391	400
नागपुर	393	395	401
शोलापुर	403	407	408
पंजाब			
अमृतसर	416	424	437
राजस्थान			
अजमेर	422	422	423
जयपुर	438	445	445
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	398	398	405
सहारनपुर	405	411	419
वाराणसी	457	461	467
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	402	412	421
कलकत्ता	387	396	393
दार्जीलिंग	331	337	350
हावड़ा	370	374	385
जलपाइगुरी	339	348	353
रानीगंज	390	400	408
दिल्ली	428	430	438
भारत	397	402	406

संक्षिप्त समाचार

ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए सम्मेलन : कीमत-वृद्धि, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं के बाजार में न मिलने, महिलाओं व कमजोर तबकों पर अत्याचारों, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ और जनवादी और ट्रेड यूनियन अधिकारों की एकता और सुरक्षा के लिए जे. के. रेयान वर्कर्स यूनियन (सीटू), सी. पी. आई. (एम.) और जनवादी नवजवान सभा ने 30 नवंबर को कानपुर में जज्माऊ में एक सम्मेलन आयोजित किया. सम्मेलन को अन्यों सहित सीटू की यू. पी. राज्य समिति के महासचिव दौलतराम ने संबोधित किया.

रजा टैक्सटाइल मजदूर संघर्षरत : रामपुर, यू.पी. रजा टैक्सटाइल और ज्वाला फैब्रिक्स के मजदूर अपनी मागों के समर्थन में जिनमें वेतनमानों में सुधार और महंगाई भत्ता आदि की मांगें शामिल हैं, 24 नवंबर से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर हैं. मजदूरों ने कई भूख हड़तालें आयोजित कीं और 14 नवंबर को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल भी की जिसके बाद राज्य के श्रममंत्री के साथ एक त्रिपक्षीय वार्त्ता भी हुई जिसमें उन्होंने मसले को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं लिए. 27 नवंबर को एक वक्तव्य में राज्य सीटू के महासचिव दौलतराम ने मजदूरों पर पुलिस व प्रबंधकों के हमलों व राज्य सीटू अध्यक्ष हरसहाय सिंह सहित 12 मजदूरों को गिरफ्तार किए जाने की आलोचना की. उन्होंने सभी यूनियनों को इस प्रकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान किया.

गोलीबारी के विरुद्ध संघर्ष : 30 नवंबर को धनबाद के मोहन कुमारमंगलम् स्टेडियम में बी. एस. एफ. और यू. एस. एस. आर. की टीमों के बीच हो रहे फुटबाल मैच के दर्शकों पर पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी के खिलाफ आंदोलन में बोकारो स्टील मजदूर यूनियन (सीटू) सक्रियता से भाग ले रही है. इस हादसे में दो लोग मारे गये और कई घायल हुए.कई प्रदर्शन व सभाएं आयोजित की गई हैं.

दिल्ली म्यूनिसिपल मजदूरों द्वारा प्रदर्शन : म्यूनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन (सीटू) ने 18 दिसंबर को जलपूर्ति विभाग के मुख्यालय के सामने एक प्रदर्शन आयोजित किया. ये मजदूर अपने 22 सूत्री मांगपत्र जिसमें बोनस, चिकित्सा भत्ता, वरीयता पर आधारित पदोन्नति, मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित करना, समयानुसार पदोन्नति, वेतन में सुधार आदि मांगें शामिल हैं, के समर्थन में संघर्षरत हैं. इस संघर्ष में लगभग 500 मजदूरों ने भाग लिया. इससे पहले 12 दिसंबर को यूनियन ने कार्पोरेशन इंजीनियर के घर के बाहर एक प्रदर्शन आयोजित किया था.

एच. सी. एल. कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल : दिल्ली में कंप्यूटर्स एंप्लाईज यूनियन (सीटू) ने पिछली जुलाई में अपनी एक युनिट के निकाले गए 21 कर्मचारियों को पुन: काम पर वापस लेने और यूनियन के विक्टिमाइज किए गए पांच सदस्यों को वापस काम पर लेने की मांगों के लिए 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया है. इससे पहले मजदूरों ने 13 नवंबर को एक सांकेतिक हड़ताल की जो पूर्णत: सफल रही.

पुरनापानी में मजदूर गिरफ्तार : उड़िसा में पुरनापानी के खदान मजदूर अपनी मांगों के समर्थन में जिनमें 10 प्रतिशत बोनस की मांग भी शामिल है, संघर्षरत हैं. समझौता करने की बजाए खदान को गैरकानूनी ढंग से बंद कर दिया गया. दिसंबर में 500 से भी ज्यादा मजदूरों ने खदान कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया लेकिन मालिकान के साथ मिलीभगत से पुलिस ने मजदूरों पर आक्रमण का रुख अपनाया और कुछ महिलाओं सहित अनेक मजदूरों को गिरफ्तार किया.

अमृतसर में हड़ताल का आह्वान : 12 दिसंबर को अमृतसर में सीटू, एटक, एच. एम. एस., बी. एम. एस., इंटक और पी. एम. डो. की क्षेत्रीय यूनिटों ने, 7 दिसंबर को लुधियाना सम्मेलन में तय की गई मजदूरों की मांगों के समर्थन में 26 दिसंबर को मजदूरों की एक सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान किया है. उनकी मांगों में अकुशल मजदूरों के लिए 500 रुपये न्यूनतम वेतन, महंगाई भत्ते में वृद्धि, सभी को बोनस, श्रम कानूनों को लागू करना, बस-भाड़े में वृद्धि का खात्मा आदि मांगें शामिल हैं.

दमन के खिलाफ कोयला मजदूरों का संघर्ष : कोयला श्रमिक संघ (सीटू) बंकी, बिलासपुर मध्य प्रदेश ने 11 से 16 नवंबर तक प्रबंधकों द्वारा मजदूरों पर बढ़ते दमन के खिलाफ एक 'मांग-सप्ताह' मनाया. इस सप्ताह के दौरान प्रदर्शन व आम सभाएं आयोजित की गई.

हिसार में संघर्षों का समर्थन : लाल झंडा कपड़ा मजदूर एकता यूनियन (सीटू) की कार्यकारी समिति ने 14 दिसंबर को हिसार में हुई अपनी बैठक में स्थानीय सीटू कार्यालय पर हमला करने व कई मजदूर साथियों को झूठे मुकदमों में फंसाने के प्रयत्नों के लिए पुलिस की कड़ी निंदा की है. इसने मांग की है कि संबंधित ए. एस. आई, जिसने हमले का नेतृत्व किया, को तत्काल बर्खास्त किया जाए.

कार्यकारी समिति ने मिल्क प्लांट मजदूरों के संघर्ष का समर्थन किया है जो दो महीने से भी अधिक समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. इसने मांग की है कि सरकार शीघ्र इन मजदूरों के मांगपत्र पर कोई समझौता करे. □

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र

एक प्रति की दर — पचास पैसे

वार्षिक चंदा — छ: रुपये

मिलने का पता :

सीटू कार्यालय

6, तालकटोरा रोड, नई-दिल्ली

बिहार बंद : जबरदस्त समर्थन

सी पी आई (एम), सी पी आई, लोक दल, कांग्रेस (अर्स), फारवर्ड ब्लाक और आर एस पी के छः दलों की समन्वय समिति के आह्वान पर 27 नवंबर को बिहार की जनता के विभिन्न तबकों, कामगारों, मजदूर वर्ग, किसानों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों आदि ने कीमत वृद्धि, बढ़ती बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, और जनता की मौलिक स्वतंत्रता पर बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ, राज्यव्यापी बंद को जबरदस्त समर्थन दिया. राज्य में अनेक स्थानों पर जबरदस्त दमन व धारा 144 थोपने के बावजूद भी बिहार बंद सफल रहा.

सीटू ने बंद के आह्वान का समर्थन किया और इसको सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए. जमशेदपुर में टिस्को कर्मचारी यूनियन, इंडस्ट्रियल मजदूर यूनियन और दुकान प्रतिष्ठान कर्मचारी यूनियन के मजदूरों ने बंद का समर्थन किया. छोटे पैमाने के उद्योगों के मजदूरों ने भी बंद में हिस्सा लिया जो एक महत्त्वपूर्ण घटना थी. यहां 40 किलोमीटर के एक क्षेत्र में 300 से भी ज्यादा उद्योग पूरी तरह ठप्प रहे. 200 महिला कामगारों सहित एक हजार से भी ज्यादा मजदूर गिरफ्तार किए गए.

सिंदरी में बंद पूर्ण रहा और यहां तक की नुक्कड़ की पान की छोटी दुकानें भी बंद रहीं. विद्यार्थियों ने अपने स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार किया. बोकारो में भी संपूर्ण बंद रहा.

मुरलीतोला और बीहर में सी.आर.पी. द्वारा घातक हमलों से असंख्य लोग घायल हुए. सी.आर.पी. के जवानों ने मकानों में घुसकर महिलाओं व बच्चों को भी नहीं छोड़ा. बेगूसराय में भी विपक्षी दलों के मजदूरों पर निर्दयता से लाठी चार्ज किया गया. कुंदरा में अनेक लोग गिरफ्तार किए गए और विद्यार्थियों को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने से चोटें आईं. कांग्रेस (आई) के लोगों द्वारा कानून और व्यवस्था बिगाड़ने के किए गए प्रयत्नों के बावजूद दवाय, कोवाय और छापरा में बंद संपूर्ण रहा. राजगीर क्षेत्र में दुकान, परिवहन व सरकारी कर्मचारियों और रिक्शा मजदूरों ने भी बंद में हिस्सा लिया.

राज्य की राजधानी पटना में 75 से भी ज्यादा विपक्षी दलों के मजदूर गिरफ्तार किए गए. यहां भी सभी प्रमुख बाजार बंद रहे और संपूर्ण परिवहन व्यवस्था बंद के कारण ठप्प रही. मुजफ्फरपुर में 90 प्रतिशत से ज्यादा दुकानें बंद रहीं और 25 लोग गिरफ्तार किए गए.

बिहार राज्य के अन्य भागों से भी बंद की सफलता के समाचार प्राप्त हुए हैं. महेशखांत में 60 और दरभंगा में 10 लोग गिरफ्तार किए गए.

इसमें पहले देश में सभी राज्यों में, केवल कुछ एक राज्यों को छोड़कर, सफल बंद आयोजित किए गए. इन बढ़ते हुए बंद व आंदोलनों से साफ जाहिर है कि देश की आम जनता कांग्रेस (आई), जो ज्यादा से ज्यादा अधिनायकवादी होती जा रही है और जीवन व कार्यदशा तथा जनवादी व ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए जनता द्वारा चलाए जाने वाले आंदोलनों को कुचल रही है, की जनवाद व मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों का जबरदस्त विरोध करती है. □

भारतीय नाविकों द्वारा भेदभावपूर्ण मजदूरी समाप्त करने की मांग

सीटू सचिव पी. राम मूर्ति ने निम्नलिखित वक्तव्य 20 दिसंबर को जारी किया है:

लोक सभा में 18 दिसंबर को एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय परिवहन व जहाजरानी मंत्री श्री वीरेंद्र पाटिल द्वारा दिया गया वक्तव्य कि विदेशी जहाजों में काम कर रहे भारतीय नाविक नस्लभेद के आधार पर भेदभावपूर्ण मजदूरी दिए जाने के खिलाफ संघर्ष करने को स्वयं तैयार नहीं हैं और इसलिए सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकती, तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है.

वास्तविकता यह है कि विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारतीय नाविक कई बार हड़ताल तथा अन्य प्रकार के संघर्षों पर गए तथा इन संघर्षों में उन देशों के बंदरगाह व गोदी कर्मचारियों ने उनका पूरा साथ दिया. मजबूर होकर ब्रिटिश जहाजरानी कंपनियों को उन्हें ब्रिटिश वेतन या इंटरनैशनल ट्रांस्पोर्ट फेडरेशन वेतन देनी पड़ी जो कि भारत में उनके परिवारों को भेज दी गई. उदाहरण के लिए, मेनकर, ग्लोबल, मेडसाउथ, रेनबो, हिबिस्कल व पेसमेकर नाम के ब्रिटिश जहाजों में ऐसा ही करना पड़ा.

किंतु जैसे ही ये नाविक अपनी समुद्री यात्राएं समाप्त कर भारत लौटे, जहाज रानी निदेशक के माध्यम से भारत सरकार ने उनके प्रमाणपत्र रद्द कर दिए तथा उनकी कंपनियों को निर्देश दिया कि उनकी मजदूरी नस्लवादी भेदभाव के आधार पर ही दी जाए.

साफ जाहिर है कि भारत सरकार नस्लवाद के आधार पर मजदूरी दिए जाने को बढ़ावा देती रही है. मंत्री महोदय के इस बारे में तथ्यों का ज्ञान नहीं है. लगता है कि उनके मंत्रालय के अफसरों ने उन्हें गलत तथ्य दिए हैं

सीटू मांग करती है कि सरकार नस्ल या राष्ट्रीयता के आधार पर मजदूरी दिए जाने की गलत परिपाटी को बढ़ावा न दे. अन्य देशों के नाविकों के साथ एकजुटता करके भारतीय नाविक इस नस्लवादी भेदभाव को समाप्त करने व बराबर मजदूरी लेने के लिए संघर्ष करने की तैयार हैं. □

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज के लिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 (फोन : 384071) से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, सी-52, 53 डीडीए शैड्स, ओखला, फेज-I, नई दिल्ली-110020 से मुद्रित